राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1497/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
लाला राम सैनी मोहल्ला अखैरपुरा] राजपूत छात्रावास के पीछे अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव राजस्थान महिला आयोग राजस्थान सरकार जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेश पालीवाल, स्टेनोग्राफर उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-05-2017 के द्वारा शकीना पुत्री राजेश सपेरा का हाथ तोडने की शिकायत के बाबत 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय में दिनांक 30-05-2017 को प्राप्त हुआ। वांछित सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 12-06-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 28-07-2017 की पालना में पुनः निःशुल्क सूचना पत्र दिनांक 16-08-2017 से प्रेषित की जा चुकी है। द्वितीय अपील पेश होने पर पुनः सूचना पत्र दिनांक 27-03-2018 से प्रेषित की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 12-06-2017, 16-08-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त